महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–534 / 29–7–13–चीनी–02 / 2013

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग–7 लखनऊ::दिनांक 05 जून, 2013

विषयः भारत सरकार द्वारा चीनी मिलों के उत्पादन पर लेवी देयता समाप्त किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश में पी0डी0एस0 हेतु चीनी के क्रय एवं उठान की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश के बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय परिवारों हेतु 33013 मी0टन मासिक आवंटन के आधार पर 3,96,156 मी0टन वार्षिक लेवी चीनी का कोटा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त वर्ष में पड़ने वाले दीपावली / ईद एवं होली के त्यौहारों हेतु कुल 15154 मी0टन वार्षिक लेवी चीनी आवंटित की जाती है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 4,11,310 मी0टन लेवी चीनी की वार्षिक आवश्यकता होती है। भारत सरकार द्वारा चीनी मिलों के वर्ष 2012–13 के उत्पादन से लेवी देयता समाप्त कर दी गयी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चीनी मिलों से लेवी चीनी के आवंटन की पूर्व व्यवस्था मई, 2013 तक ही प्रभावी है। भारत सरकार द्वारा माह जून, 2013 से प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किये जाने हेतु खुले बाजार से पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत चीनी क्रय किये जाने की अपेक्षा की गयी है। परिवर्तित व्यवस्था में सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु प्रदेश के लिये वर्तमान में निर्धारित चीनी आवंटन की मात्रा पर भारत सरकार द्वारा रू–18.50 प्रति कि0ग्रा0 की दर से सब्सिडी अनुमन्य की गई है। रू–18.50 प्रति कि0ग्रा0 की सब्सिडी की धनराशि में सभी प्रशासनिक, परिवहन व अन्य व्यय सम्मिलित होंगे। राज्य सरकार को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित होने वाली चीनी के विक्रय मूल्य से रू0 13.50 प्रति कि0ग्रा0 प्राप्त होता रहेगा। भारत सरकार की परिवर्तित व्यवस्था फिलहाल वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लिये की गई है।

2– उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा चीनी मिलों के उत्पादन पर लेवी देयता समाप्त किये जाने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में पी0डी0एस0 में वितरण माह जून, 2013 से चीनी के क्रय एवं उठान की परिवर्तित व्यवस्था निम्न प्राविधानों के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण हेतु खुले बाजार से चीनी क्रय की पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया अपनाई जायेगी, किन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय परिवारों में चीनी की निर्बाध रूप से प्रत्येक माह उचित

2/

दर की दुकानों पर आपूर्ति की अपरिहार्यता तथा टेण्डर प्रकिया के माध्यम से चीनी क्रय किये जाने में अधिक समय लगने के दृष्टिगत टेण्डर प्रकिया के पूर्ण एवं प्रभावी होने तक उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों से चीनी का क्रय तात्कालिक रूप से किया जायेगा। साथ ही चीनी क्रय की पारदर्शी व्यवस्था हेतु टेण्डर प्रकिया निर्धारित करने की कार्यवाही की जायेगी। टेण्डर प्रकिया पूर्ण एवं प्रभावी होने पर केवल सहकारी चीनी मिलों से चीनी क्रय की व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(2) उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ द्वारा उनके नियंत्रणाधीन प्रदेश के 18 जनपदों में स्थित 22 सहकारी चीनी मिलों की वार्षिक उत्पादन क्षमता तथा वर्तमान में उनके पास उपलब्ध चीनी के स्टाक के आधार पर प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी की आपूर्ति समयान्तर्गत सुनिश्चित की जायेगी।

(3) चीनी के मूल्य निर्धारण हेतु उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ द्वारा दिन–प्रतिदिन के औसत मूल्य के मासिक आधार पर अगले माह की चीनी के क्रय का अनन्तिम मूल्य तथा उठान के पश्चात संबंधित माह की औसत दरों के आधार पर माह का अन्तिम मूल्य प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा निर्धारित कराकर प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा आयुक्त, खाद्य एवं रसद को सूचित किया जायेगा। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा चीनी मूल्य निर्धारण की प्रकिया में वित्त विभाग द्वारा नामित लेखा परीक्षा अधिकारी या उनके कार्यालय का अधिकारी भी रखा जायगा। आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आगामी माह में उठान हेतु मिलवार एवं जनपदवार पी0सी0एफ0 को आवंटन आदेश जारी किया जायेगा तथा आवंटित चीनी का उठान पी0सी0एफ0 द्वारा सहकारी चीनी मिलों को अग्रिम भुगतान करके पी0डी0एस0 के गोदामों में खाद्यान्न के रोस्टर के अनुरूप समय से आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। वास्तविक उठान के पश्चात संबंधित माह में खुले बाजार में चीनी का औसत मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उठान की गयी चीनी की उस माह के लिये अन्तिम दर होगी, जिसकी वृद्धि/कमी के मूल्यान्तर का समायोजन करते हुए चीनी मिलों को यथावश्यक पूरक भुगतान किया जायेगा।

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपूर्ति हेतु निर्धारित दर पर पी0डी0एस0 की आवश्यकता के अनुरूप उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ द्वारा सहकारी चीनी मिलों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानक (आई0एस0एस0) के अनुरूप चीनी उपलब्ध करायी जायेगी। चीनी के बाजार मूल्यों में यदि किसी समय अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है, उस दशा में भी अपेक्षित मात्रा में चीनी की आपूर्ति उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ द्वारा निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

(5) उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ द्वारा पी0डी0एस0 में चीनी आवंटन हेतु मिलवार चीनी की उपलब्धता की सूचना प्रत्येक वितरण माह से 02 माह पूर्व आयुक्त, खाद्य एवं रसद को उपलब्ध करायी जायेगी। तदोपरान्त चीनी के मिलवार एवं जनपदवार आवंटन की कार्यवाही पूर्व की भॉति आयुक्त खाद्य एवं रसद द्वारा की जायेगी तथा आवंटित चीनी का क्रय एवं उठान पी0सी0एफ0 द्वारा सहकारी चीनी मिलों को अग्रिम भुगतान करके पी0डी0एस0 के गोदामों में

3/

खाद्यान्न के रोस्टर के अनुरूप समय से आपूर्ति की जायेगी।

(6) चीनी की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु चीनी के मूल्य निर्धारण की प्रकिया में यह व्यवस्था भी की जायेगी कि यदि अगले माह की चीनी क्रय की दरें किसी अपरिहार्य कारणवश निर्धारित नहीं हो पातीं हैं, तो विगत माह की दर के आधार पर चीनी क्रय की व्यवस्था की जायेगी तथा अन्तर की धनराशि का समायोजन आगामी माहों में कर लिया जायेगा।

(7) पी0डी0एस0 में चीनी के उठान हेतु अग्रिम की संशोधित धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था आयुक्त, खाद्य एवं रसद के स्तर से पूर्व की भॉति की जायेगी।

(8) पूर्व व्यवस्था में भारत सरकार से चीनी दावों का भुगतान प्रदेश की ओर से पी0सी0एफ0 द्वारा प्राप्त किया जाता था। परिवर्तित व्यवस्था में भी पी0सी0एफ0 द्वारा ही चीनी के उठान व परिवहन का कार्य किया जायेगा तथा भारत सरकार से प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत/प्राप्त करने का कार्य भी पी0सी0एफ0 द्वारा किया जायेगा।

(9) परिवर्तित व्यवस्था में भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में रू0—1850 प्रति कु0, सभी प्रशासनिक परिवहन, वितरण एवं अन्य व्यय सम्मिलित करते हुए अनुमन्य किया गया है। अतः भारत सरकार द्वारा अनुमन्य कुल व्यय से अधिक व्यय की मात्रा को सीधे सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अपने आय—व्ययक से वहन किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप, वर्तमान में चीनी के अनुमानित क्रय मूल्य रू—3200 प्रति कु0 पर रू0—97.00 प्रति कु0 एक्साइज ड्यूटी, खुले बाजार की चीनी में 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर रू0—64.00 प्रति कु0, पी0सी0एफ0 का मार्जिन रू0—34.78 प्रति कु0, औसत परिवहन व्यय रू0—70.00 प्रति कु0 को सम्मिलित करते हुए चीनी का प्रति कुन्तल मूल्य लगभग रू0—3466 प्रति कु0 अनुमानित है। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु प्रदेश की कुल आवश्यकता 33013 मी0टन के मासिक कोटे के सापेक्ष रू0—114.42 करोड धनराशि की आवश्यकता अनुमानित है। भारत सरकार से चीनी क्रय हेतु रू0—1850 प्रति कु0 की दर से रू0—61.07 करोड़ मासिक सब्सिडी के रूप में तथा रू0—1350 प्रति कु0 की दर से रू0—44.56 करोड़ मासिक धनराशि पी0डी0एस0 उपभोक्ताओं से प्राप्त होने के फलस्वरूप अवशेष अन्तर की धनराशि रू0—8.79 करोड़ का मासिक भुगतान तथा दीपावली/ईद एवं होली के विशिष्ट त्यौहारों हेतु 15154 मी0टन अतिरिक्त चीनी के उठान हेतु अनुमानित रू0—4.03 करोड़ का वार्षिक भुगतान राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में पी0सी0एफ0 को देय होगा, जिसकी व्यवस्था आय—व्ययक के लेखा शीर्षक 4408 में प्राविधानित धनराशि से की जायेगी। उक्त उदाहरण में चीनी का क्रय मूल्य तथा अन्य मदों में होने वाला व्यय अनुमानित है, जिसमें वृद्धि अथवा कमी होने पर तद्नुसार ही भुगतान अनुमन्य होगा।

(10) भारत सरकार से सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की त्रैमासिक व्यवस्था होने के कारण चीनी के तात्कालिक क्रय एवं उठान हेतु पी0सी0एफ0 को प्रथम तीन माह के लिये उक्त धनराशि रू0—61.07 करोड़ मासिक कार्यशील पूँजी बिना ब्याज के अग्रिम के रूप में आय—व्ययक के लेखा शीर्षक 4408 से इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि तीन माह बाद भारत सरकार से

इसकी प्रतिपूर्ति पी0सी0एफ0 द्वारा प्राप्त कर ली जायेगी।

(11) पी0डी0एस0 से बिक्री के रूप में प्राप्त धनराशि तथा भारत सरकार से सब्सिडी की धनराशि के योग से यदि चीनी के क्रय एवं वितरण में अधिक व्यय किया जाता है तो अन्तर की धनराशि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें के लेखा परीक्षा के बाद सब्सिडी के रूप में पी0सी0एफ0 को अनुमन्य की जायेगी।

(12) पी0डी0एस0 से बिक्री के रूप में प्राप्त धनराशि तथा भारत सरक्रार से सब्सिडी की धनराशि के योग से यदि चीनी के क्रय एवं वितरण पर कम व्यय किया जाता है तो अन्तर की धनराशि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें के लेखा परीक्षा के बाद पी0सी0एफ0 द्वारा राजकोष में जमा की जायेगी।

(13) सहकारी चीनी मिलों द्वारा दी गयी चीनी की औसत दर एक्स चीनी मिल होगी। ट्रकों में लोडिंग की व्यवस्था चीनी मिलों द्वारा की जायेगी। बिक्री चीनी पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, शिक्षा कर आदि की प्रचलित दर, चीनी की बेसिक दर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के योग का 02 प्रतिशत प्रवेश कर नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क, प्रवेश कर में संशोधन होने अथवा नया कर लागू करने की दशा में संशोधित दर लागू होगी।

3— कृपया प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी के क्रय एवं उठान हेतु उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही चीनी के क्रय एवं उठान की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु टेण्डर प्रक्रिया की कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 534(1)/29—7—2013—चीनी—02/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, वित्त/चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास/लघु उद्योग/सहकारिता विभाग उ0प्र0शासन।
2— प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0(पी0सी0एफ0), लखनऊ।
3— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ, लखनऊ।
4— वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
5— निबंधक, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, लखनऊ।
6— खाद्य तथा रसद शाखा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(मोहम्मद जुनीद)
उप सचिव।